पत्रांक : प0सा0/वा0प0/ 858 /16 दिनांक : 15 मार्च, 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
विवेकानन्द महाविद्यालय,
सेमरी, बलिया।

महोदय,

वार्षिक परीक्षा 2016 में दिनांक 12–03–2016 को विश्वविद्यालय के उड़ाकादल द्वारा आपके महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्राचार्य डॉ0 दिलीप कुमार मिश्रा वहाँ केन्द्राध्यक्ष के रूप में उपस्थित नहीं थे। उनके स्थान पर श्री टी0एन0 मिश्र केन्द्राध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे तथा आवश्यक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। विश्वविद्यालय से बिना अनुमति के श्री टी0एन0 मिश्र किस आधार पर केन्द्राध्यक्ष का कार्य कर रहे थे।

अतएव पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किसके आदेश से डॉ0 दिलीप कुमार मिश्रा के स्थान पर श्री टी0एन0 मिश्र प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष का कार्य देख रहें हैं। इस अनियमितता के कारण क्यों न आपके महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

/

(ओम प्रकाश)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 कुलपति जी, सूचनार्थ।
2. कुलानुशासक/संयोजक, उड़ाकादल।
3. जिलाधिकारी– बलिया।
4. पुलिस अधीक्षक– बलिया।
5. डॉ0 दिलीप कुमार मिश्रा, प्राचार्य को इस आशय के साथ कि विश्वविद्यालय को अवगत कराये बिना आप प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष का कार्य क्यों नहीं कर रहें हैं।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

ह0
डॉ0(सुरेन्द्र नाथ सिंह)
सहायक कुलसचिव